राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक 4307 जयपुर दिनांक 03/04/2020

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) से भीषण आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यो में अन्तरविभागीय समन्वय स्थापित करने हेतु उपखण्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कोर ग्रुप के गठन तथा कन्ट्रोल रूम की स्थापना बाबत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 8()आ.प्र. एवं सहा/आप्र./2020/3968–72 जयपुर, दिनांक 28.03.2020 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/रिस्पोन्सिबल ऑफिसर द्वारा इन्सीडेन्ट कमाण्डर नियुक्त करने के निर्देश दिये गये थे जिसकी अनुपालना में जिलों द्वारा सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को इन्सीडेन्ट कमाण्डर नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट/इन्सीडेन्ट कमाण्डर को सौंपे गये दायित्वों के सम्यक निर्वहन एवं इस हेतु अन्तरविभागीय समन्वय तथा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया जाता हैः–

(क) उपखण्ड स्तरीय कोर ग्रुप :–

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/इन्सीडेन्ट कमाण्डर – अध्यक्ष
2. पुलिस उप अधीक्षक – सदस्य
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – संयोजक
4. तहसीलदार – सह संयोजक
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य
6. अधिशाषी अभियन्ता (सा.नि.वि.) – सदस्य
7. ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – सदस्य
8. सहायक निदेशक, कृषि/सहायक कृषि अधिकारी – सदस्य
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य
10. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका – सदस्य
11. सचिव, कृषि उपजमण्डी समिति – सदस्य

उपखण्ड स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य उपखण्ड/तहसील/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कोर ग्रुप की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है। इस कोर ग्रुप द्वारा सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय/तहसील कार्यालय/पंचायत समिति कार्यालय में उपखण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम की स्थापना भी की

www.rajteachers.com

जावे जो कि 24x7 कार्यरत हो तथा उसमें अराजपत्रित कर्मचारियों की पारी अनुसार ड्यूटी लगाई जावे। कोर ग्रुप द्वारा उपखण्ड क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स में बांट कर उनमें सहायक अभियन्ता सा.नि.वि./विकास प्राधिकरण/नगर विकास के अधिकारियो तथा अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी के रूप में बचाव एवं राहत कार्य तथा अन्तरविभागीय समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

(ख) ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप :–

1. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	–	अध्यक्ष
2. ग्राम विकास अधिकारी	–	संयोजक
3. पटवारी	–	संह संयोजक
4. एएनएम	–	सदस्य
5. कृषि पर्यवेक्षक	–	सदस्य
6. महिला पर्यवेषक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	–	सदस्य

ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य पंचायत स्तरीय कर्मचारियों को कोर ग्रुप की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है। इस कोर ग्रुप द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय/राजीव गांधी सेवा केन्द्र में ग्राम पंचायत स्तरीय कन्ट्रोल रूम की स्थापना भी की जावे। कोर ग्रुप द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न राजस्व ग्रामों की विशेष रूप से जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।

उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट/इन्सीडेन्ट कमाण्डर को उसे सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, दान दाताओं तथा स्वयं सेवी संगठनों आदि से पूर्ण सहयोग, समन्वय एवं सामन्जस्य कायम करते हुए कार्य किया जायेगा। कोर ग्रुप द्वारा सोशल डिस्टेन्सिगं, संसाधनों की उपलब्धता, खाद्य एवं राहत सामग्री का वितरण, क्वेरेनटाईन सेन्टर्स का प्रबन्धन, कान्टेक्ट ट्रेसिंग, बचाव के उपायों का प्रचार–प्रसार, बाहर से आये हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना का संकलन तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्था करने के साथ ही किसी भी गंभीर स्थिति में उच्चाधिकारियों को अवगत कराने का कार्य किया जायेगा। इसके अलावा उक्त कोर ग्रुप द्वारा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोर ग्रुप का सहयोग लेते हुए इन्सीडेण्ट कमाण्डर (Incident Commander) के रूप में सोपे गये समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा

(डी. बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
3. उपसचिव, मुख्य सचिव
4. समस्त सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
5. समस्त सम्बन्धित विभागध्यक्ष
6. समस्त संभागीय आयुक्त
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी, जिला परिषद्
8. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

www.rajteachers.com